BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 01 फरवरी 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैरइरादन हत्या करने के 03 आरोपियो को 07-07 वर्ष का कारावास व 12-12 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. राजवीर पुत्र चुन्नी लाल 2. खूबी पुत्र करन सिंह 3. पुरुषोत्तम पुत्र इन्द्रपाल निवासीगण निवाड़ी वागर थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2012 में वादी देवेन्द्र सिंह पुत्र मंगली निवासी निवाड़ी वागर थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर व उसके पिता व मामा के साथ गाली गलौच कर मारपीट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिससे वादी के पिता की मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 14.11.2012 को थाना नरौरा पर मुअसं- 191/2012 धारा 323/504/506/304 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 14.12.2012 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमे 08 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 01.02.2025 को न्यायाधीश श्री विनित चौधरी (मा0 न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. राजवीर 2. खूबी व 3. पुरुषोत्तम को 07-07 वर्ष का कारावास व 12-12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री नितिन त्यागी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तो को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर